आदेश

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे **सहायक उपनिरीक्षक लेखा** को उनके प्रशिक्षण केन्द्र से उनके नाम के सम्मुख **(कालम–08)** में अंकित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई आवंटित किया जाता है।

यह आदेश **"पुलिस स्थापना बोर्ड"** के **कार्यवृत्त सूची सं0:–एएसपी–(ई–1)–(सहायक उपनिरीक्षक लेखा) आवंटन– 708 /2024 दिनांकः 07–11–2024** में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

केवल आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि कोई **सहायक उपनिरीक्षक लेखा** आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा।

सहायक उपनिरीक्षक लेखा को उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा, गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली–2015 एवं यथासंशोधित में दिये गये प्राविधानों के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिनके द्वारा नियमानुसार परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही स्थाईकरण किया जायेगा। 03 वर्ष की अवधि में सम्बन्धित कर्मी को आवंटित जनपद/इकाई/कमिश्नरेट से अन्यत्र सामान्यतः स्थानान्तरित नही किया जायेगा।

निम्नलिखित कर्मी आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई में अपनी आमद कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई से व्यवहारिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेगें।

क्र0 सं0	पद	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	प्रशिक्षण केन्द्र	आवंटित जनपद/ कमिश्नरेट/इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASI ACCOUNT	241060030	हरिकेश यादव	श्री सुखदेव यादव	गोरखपुर	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	GHAZIPUR
2	ASI ACCOUNT	241060072	नेहा कुमारी	श्री परशुराम कुरील	लखनऊ	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	AMETHI

DGP HQRS UP LKW

DG-IV-STHA-(708)2024/2199 DT 07-11-2024

(राहुल मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना)
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक),
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः डीजी–चार–स्था0–(708)/2024/2199 **दिनांकः लखनऊः नवम्बर 07,2024**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– **अपर पुलिस महानिदेशक– पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि केवल आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि कोई **सहायक उपनिरीक्षक लेखा** आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा, जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा। असफल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तद्नुसार प्रस्थान करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, तथा उक्त कर्मियों के सेवा अभिलेख सम्बन्धित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2– **पुलिस आयुक्त– पुलिस अधीक्षक– गाजीपुर/अमेठी** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूची में अंकित सफल होने वाले अभ्यर्थियों के अपने–अपने आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई में आगमन कराने तथा उसके पश्चात उनका निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।